संघ बनाने की स्वतंत्रता और एकत्रित होने की स्वतंत्रता

पाठ्यक्रम के उद्देश्य

- आई सी टी और मानवाधिकार विशेषज्ञों, और अन्य सभी जिनकी इस विषय में रूचि है, उनकी मदद करना ताकि :

- वे समझ सकें कि किस प्रकार इंटरनेट अधिकारों का सही तरह प्रयोग करने और किस तरह उसके अतिक्रमण में भूमिका निभा रहा है-वर्तमान में और भविष्य में भी

- इस बात को समझें कि वो किस प्रकार कार्य निष्पादन में असर डालेगा ?

- इंटरनेट के माध्यम सुलभ हो रहे हैं, उनका गुणात्मक रूप से प्रयोग करें, तथा उन चुनौतियों का भी हल ढूंढने का प्रयास करें जो इंटरनेट के आविर्भाव ने उत्पन्न की है

मॉड्यूल की विषयवस्तु

- यह मॉड्यूल सरोकार रखता है -
- एकत्रित होने की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता के बारे में
- किस तरह से इन अधिकारों के प्रयोग को इंटरनेट द्वारा बढ़ावा मिल रहा है
- किस प्रकार से इंटरनेट इन अधिकारों और अन्य ऐसे अधिकारों की परिभाषा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदल रहा है
- किस प्रकार से इंटरनेट का प्रयोग करके इन अधिकारों का अतिक्रमण भी हो सकता है

मुख्य सवाल

- एकत्रित होने की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता का क्या अभिप्राय है?
- अंतर्राष्ट्रीय अधिकार प्रबंधन के परिपेक्ष्य में इस स्वतंत्रता के परिधियां किस प्रकार पारिभाषित की गयी हैं?
- इंटरनेट के आविर्भाव ने एकत्रित होने की स्वतंत्रता और संघ बनाने की स्वतंत्रता की सम्भाव्यताओं को किस प्रकार प्रभावित किया है?
- इंटरनेट के आविर्भाव के पश्चात, इन और अन्य अधिकारों, जिनमें शामिल हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना और निजता की स्वतंत्रता को किस प्रकार प्रभावित किया है?

जारी.....

- इंटरनेट के आने के बाद इन अधिकारों के अतिक्रमण और परिसीमन पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है ?
- अधिकारों पर काम करने वाले पेशेवरों को उनके कार्यक्षेत्र में इंटरनेट के आविर्भाव को किस प्रकार आत्मसात करना चाहिए?

अंतर्राष्ट्रीय अधिकार शासन

- मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा
- नागरिक और मानवाधिकार से सम्बंधित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र
- मानवाधिकार का अंतराष्ट्रीय बिल
- आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र
- क्षेत्रीय अधिकारों का सम्मलेन
- सीईडीएडब्लू , सीआरसी ,और अन्य अधिकारों के समझौते
- राष्ट्रीय कानून

जारी ....

- सरकारों के दायित्व :
- नागरिकों के साथ सही आचरण का अनुसरण जब सरकार नागरिकों से किसी विषय पर संवाद कर रही हो
- किसी अन्य पक्ष द्वारा नागरिको के अधिकारों के हनन को रोकना (संस्थाएं, गैर सरकारी व्यक्ति, वाणिज्यिक संस्थाएं)

आई सी टी , इंटरनेट और उसका प्रभाव

- आईसीटीस-- कम्प्यूटरीकरण , दूरसंचार, इंटरनेट, सामाजिक नेटवर्क
- उत्पादन, वाणिज्य और उपभोग
- काम और आराम
- सूचना की उपलब्धता
- लोगों के बीच संवाद
- लोगो, सरकारों और वाणिज्यिक संस्थाओं के बीच संवाद
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कानून के बीच सम्बन्ध

यू डी एच आर की धारा 20

- (1) सभी को शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होने और संघ बनाने का अधिकार प्राप्त है
- (2) किसी को दबाव डाल कर किसी संघ का सदस्य नहीं बनाया जा सकता

- संघ बनाने की आज़ादी से तात्पर्य है कि वो किसी भी व्यक्ति से परस्पर वार्तालाप कर सकता है और स्वेच्छा से किसी भी संघ में औपचारिक रूप से या अनौपचारिक शामिल हो सकता है.

अन्य अधिकारों के परिपेक्ष्य में समूह बनाने और एकत्रित होने की स्वतंत्रता

- **आस्था की स्वतंत्रता** (विचार, धर्म और जागरुकता) जिसमे शामिल है अपनी आस्था को प्रसारित करने की आज़ादी (उदाहरण के लिए शिक्षा या उपासना) (यू डी एच आर और आई सी सी पी आर की धारा 18)
- **विचार व्यक्त करने की स्वेच्छा** (यू डी एच आर की धारा 19 और आई सी सी पी आर की धारा 19 (1)
- **अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** (यू डी एच आर की धारा 19 और आई सी सी पी आर की धारा 19 (1)
- **सूचना की स्वतंत्रता** (यू डी एच आर की धारा 19 और आई सी सी पी आर की धारा 19 (1) में निहित)
- **संघ बनाने की स्वतंत्रता** (यू डी एच आर की धारा 20 और आई सी सी पी आर की धारा 22)
- **एकत्रित होने स्वतंत्रता** (यू डी एच आर की धारा 20 और आई सी सी पी आर की धारा 21

- राजनैतिक और सार्वजनिक जीवन में शामिल होने की स्वतंत्रता , जिसमे शामिल है चुनावों में भाग लेने की आज़ादी (यू डी एच आर की धारा 21 और आई सी सी पी आर की धारा 25) सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल होने की स्वतंत्रता , और अपनी भाषा का प्रयोग करने की आज़ादी (यू डी एच आर की धारा 27 और आई सी सी पी आर की धारा 27 और अन्य सन्दर्भ)

अन्य अधिकारों के सन्दर्भ में धारा 19 में निहित अधिकार

संघ बनाने की स्वतंत्रता

एकत्रित होने की स्वतंत्रता

सूचना की स्वतंत्रता

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

आस्था और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

संघ बनाने की स्वतंत्रता

- संघ बनाने की स्वतंत्रता के अधिकार से तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी भी अन्य व्यक्ति से विचारों का आदान प्रदान कर सकने के स्वतंत्रता प्राप्त है, और वो दूसरों के साथ औपचारिक या अनौपचारिक समूह में शामिल हो सकता है

- संघ का दायरा बहुत बड़ा है और इसमें सामाजिक समूह जो राजनैतिक गतिविधियों से सम्बंधित हों वे भी शामिल हो सकते हैं

- संघ ऐसे व्यक्तियों का समूह है या विधियुक्त संस्थाएं जिनको एक मंच पे लाया गया है ताकि वो सामूहिक रूप से किसी भी विषय के ऊपर विचार व्यक्त करें, उसका बचाव करें, अपने विचारों को प्रतिपादित करें और सामूहिक रूप से कार्रवाई करें (संघ बनाने और एकत्रित होने के ऊपर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत का विचार)

एकत्रित होने की स्वतंत्रता

- एकत्रित होने की स्वतंत्रता से अभिप्राय है लोगो का सामूहिक रूप से किसी गतिविधि में शामिल या तो किसी समूह के प्रतिनिधि के रूप में (जैसे हड़ताल पे जाना) या फिर स्वतः व्यक्तियों का इकट्ठा हो जाना किसी मुद्दे को लेकर (जैसे किसी प्रकार का प्रदर्शन)
- सभा एक उद्देश्यपूर्ण जमावड़ा है जो कि सार्वजनिक या नीजि क्षेत्र में आयोजित किया जाता है किसी विशेष उद्देश्य को लेकर (संघ बनाने और एकत्रित होने के ऊपर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत का विचार)

आईसीसीपीआर में सभा आयोजित करने तथा एकत्र होने की स्वतंत्रता

- अनुच्छेद 21
- शांतिपूर्ण ढंग से सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता सभी को मिलनी चाहिए

- अनुच्छेद 22
- सभी को इस बात की स्वतंत्रता है कि वो किसी के भी साथ संघ बना सकता है, और इसमें अपने हितों की रक्षा के लिए ट्रेड यूनियन बनाना भी शामिल है

आईसीसीपीआर में सभा आयोजित करने तथा एकत्र होने की स्वतंत्रता पर परिसीमन

- अनुच्छेद 22
- इस कानून के क्रियान्वयन में कोई प्रतिबन्ध नहीं है, प्रतिबन्ध वही लागू होता है जहाँ पर वो विधि द्वारा पारिभाषित है और जो कि तर्कसंगत है एक गणतंत्र को सुचारू रूप से चलने के लिए , और जिनमे शामिल है सामरिक सुरक्षा , नागरिकों की सुरक्षा , जन व्यवस्था, जन स्वास्थ्य के हित , या नैतिकता, या जहाँ औरों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने का मसला हो.

- अनुच्छेद 21
- इस कानून के क्रियान्वयन में कोई प्रतिबन्ध नहीं है, प्रतिबन्ध वही लागू होता है जहाँ पर वो विधि द्वारा पुष्ट किया गया है है और जो कि तर्कसंगत है एक गणतंत्र को सुचारू रूप से चलने के लिए , और जिनमे शामिल है सामरिक सुरक्षा , नागरिकों की सुरक्षा , जन व्यवस्था, जन स्वास्थ्य के हित , या नैतिकता, या जहाँ औरों के अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करने का मसला हो.

इंटरनेट और व्यक्तिगत सभा

- इंटरनेट के आविर्भाव ने व्यक्तिगत और सामाजिक आदान प्रदान के नए प्रतिमानों को जन्म दिया है - विशेषतः इंटरनेट, इंस्टेंट मेसेजिंग , और सामाजिक नेटवर्क सेवाएं (जैसे कि फेसबुक, ट्वीटर , लिंक्डइन आदि) जिनका उपयोग भौतिक क्षेत्र में नहीं होता बल्कि आभासी क्षेत्र में.

- बहुत सारे व्यक्ति जो कि वर्तमान में ऑनलाइन हैं एक बड़े सामाजिक वर्ग के साथ, क्लिष्ठ सामाजिक सम्बन्ध के दौर से ऑनलाइन क्षेत्र में गुजर रहे है (चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर)

- वो अब इस स्थिति में हैं कि अपने संबंधों को क्रियान्वयन पालक झपकते ही कर लेते हैं, दूरियों को दरकिनार करते हुए, क्योंकि मौजूद हैं नाना प्रकार के ऑनलाइन सम्बन्ध बना सकने वाले गैजेट, और ये सारा कुछ छद्म रूप से या गुमनाम रह कर भी किया जा रहा है

इंटरनेट और सामूहिक सभा

- संस्थाओं द्वारा इंटरनेट का प्रयोग संस्था के कार्य निष्पादन में एक महत्तपूर्ण औज़ार के रूप में किया जा रहा है-भर्ती , सम्बन्ध , नेटवर्किंग , प्रकाशन प्रचार-प्रसार के लिए
- राजनैतिक संस्थाएं और अन्य संस्थाओं ने - हर विचारधारा का अनुसरण करने वाली- ने इसकी महत्ता समझ इंटरनेट का प्रयोग बढ़ चढ़ कर करना शुरू कर दिया है.

ऑनलाइन संस्थाएं

- ऑनलाइन संस्थाओं के साथ सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि वे भौतिक सीमाओं नहीं जा सकती जैसे की ऑफलाइन संस्थाएं, जिनकी पृष्ठभूमि में भौतिक स्थान का होना लाज़मी होता है और ऑफ़लाइन संस्थाओं की भागीदारी में सभी का शामिल होना जरूरी भी नहीं.(अगर संस्था चाहे तो ऑनलाइन सदस्य गुमनाम रह कर भी हिस्सा ले सकते हैं)
- अल्पसंख्यक वर्ग के लिए ऑनलाइन संस्थाएं वरदान हो सकती हैं , विशेषतः उन समूहों जो बड़े सामाजिक ढांचे में अपनी पहचान बना पाने में सफल नहीं होते, या ऐसे ढांचे में कई बार विभिन्न तरह प्रताड़ना के शिकार भी हो सकते हैं , और इस मंच के माध्यम से अपनी पहचान बनाते हुए , सामाजिक स्तर पर समग्रता का प्रयास कर सकते हैं.
- राजनैतिक सन्दर्भों में, ऑनलाइन संस्थाओं के आविर्भाव ने बदलाव के लिए विश्व स्तर पर अग्रणी भूमिका निभाई है और प्रवासी समूहों को अपने देश के समूहों के साथ जोड़ने में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण सेतु का काम किया किया है.

इंटरनेट और जनसमूह बनाना

- इंटरनेट के आविर्भाव ने भौतिक स्तर पर एकत्र होने और संचालन करने के मानकों में परिवर्तन का समावेश किया है.

- सबसे महत्त्वपूर्ण बदलाव यह आया है कि जो लोग जनसमूह का हिस्सा बन रहे हैं वो लोग अपने भागीदारों के साथ व्यक्तिगत स्तर पर (दूरभाष के दवारा) और सामूहिक रूप से निरंतर संपर्क बनाये हुए हैं (चाहे ग्रुप एसएमएस दवारा, ग्रुप ईमेल दवारा, सोशल नेटवर्क सर्विसेज के माध्यम से या मोबाइल फोन के द्वारा)

- यह स्पष्ट रूप से सामने उभर कर आया था -अरब स्प्रिंग के दौरान, और इसी प्रकार राजनैतिक प्रतिरोध के आंदोलन या अन्य गैर राजनैतिक आंदोलनों के दौरान

- इसने सम्बल सम्बल प्रदान किया है ऑनलाइन जनसमूह को विभिन्न रूपों में , जैसे कि ऑनलाइन याचिका दायर करने के लिए,अन्य मुहिमों को चलाने के लिए, और क्राउड सोर्सिंग के लिए

वार्तालाप के लिए मुद्दे- विरोध को संगठित करना

- इंटरनेट , विशेषतः मोबाइल इंटरनेट ने विरोध को संगठित संरचना देने और अच्छी तरह अंजाम तक पहुचाने में अग्रणी भूमिका निभाई है
- सूक्ष्म स्तर पर तारतम्य बनाने में ट्वीटर और एस एम एस ने अग्रणी भूमिका निभाई है, समूह को उत्पन्न होने वाली समस्या के बारे में सचेत किया है(जैसे कि पुलिस या सेना की उपस्थिति के बारे में),तुरंत ही किसी गतिविधि के आयोजन में, और किसी कार्यक्रम के तय स्थान में बदलाव के बारे में
- इंटरनेट के कुछ कर्मठ कार्यकर्ताओं का यह मानना है हैकिंग और DDoS हमलों को भी संगठित विरोध का दर्जा दिया जाना चाहिए. जबकि इंटरनेट समुदाय के अन्य कार्यकर्ता इस गतिविधि को इंटरनेट के सिद्धांतों और अधिकारों के ऊपर हमले के रूप में देखते हैं

विचार विमर्श के मुद्दे - चौकसी

- जहां एक तरफ इंटरनेट के आविर्भाव ने समूह बनाने और एकत्रित होने की प्रक्रिया को सहज बना दियी है, दूसरी तरफ सरकार के लिए भी ऐसी सस्थाओं पर , जो सरकार की नीतियों का विरोध करती हैं निगरानी रखना सहज हो गया है.
- अलग-अलग देशों में इस वर्ग में शामिल हो सकते है. आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने वाली संस्थाएं या / और राजनैतिक प्रतिद्वंदी भी
- बहुत सारी सरकारों ने इंटरनेट की सेवा देने वाली संस्थाओं और आनलाइन सर्विस प्रदान करने वाली संस्थाओं से व्यक्तियों और संस्थाओं के इंटरनेट रिकॉर्ड की मांग की है. इससे समूह बनाने और एकत्र होने के प्रयासों पर घड़ो पानी फिर सकता है.

विचार विमर्श के मुद्दे - गुमनाम रहना

- इंटरनेट से अनाम या गुमनाम रहकर अपनी गतिविधियाँ करते रहना सहज होता है
- अधिकारों पे काम करने वाले कर्मठ कार्यकर्ता इसे एक शुभ संकेत मानते हैं क्योंकि ऑनलाइन विरदोह मुखरित करने पर सरकार या अन्य संस्थाओं (जैसे कि नशे का कारोबार करने वालों) द्वारा कार्रवाई (गिरफ्तारी या अन्य किसी तरह की प्रताड़ना) के सम्भावना कम रहती है
- गुमनामी या बेनामी का सहारा ऐसे भी लोग लेते हैं जो किसी व्यक्ति या समाज को नुक्सान पहुचाना चाहते हैं, जैसे कि ऑनलाइन फ्रॉड या सेक्सुअल ग्रूमिंग (कौमार्य लड़कियों को बरगलाकर सेक्स के बारे में प्रलोभित करना)

सारांश

- इंटरनेट से आम आदमी की संघ बनाने और एकत्रित होने की संभावनाओं में गुणात्मक इजाफा हुआ है , भौतिक और साइबर क्षेत्र दोनों ही जगह

- इसके कारण अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए नयी संभावनाएं उभर कर सामने आयी हैं,- जैसे कि सेक्सुअल अल्पसंख्यक वर्ग और संजातीय वर्ग, जो कि अब संघ के रूप में या कही एकत्रित होने के लिए इंटरनेट की सुविधाओ का प्रयोग कर सकते हैं.

- इसका प्रयोग उन समहों ने भी किया है जो कि अल्पसंख्यक का विरोध करते है या अन्य वर्ग को अधिकार दिए जाने का विरोध

- इसने सरकार के लिए संघ और एकत्र होने के विषय पर वैधानिक नियमों के क्रियान्वयन के बारे में नयी चुनौतियाँ प्रस्तुत की हैं.